अत्यावश्यक

राजस्थान सरकार
मंत्रिमण्डल सचिवालय

विषयः– मंत्रिमण्डलीय समिति/उप समिति के गठन से संबंधित प्रस्ताव मंत्रिमण्डल सचिवालय को प्रेषित करने के संबंध में।

यह जानकारी में आया है कि विभिन्न प्रशासनिक विभागों द्वारा मंत्रिमण्डलीय समिति/उप समिति के गठन से संबंधित प्रस्तावों में संयोजक/अध्यक्ष/सदस्यगण के नाम विभागीय स्तर से सीधे ही प्रस्तावित करते हुए पत्रावली मुख्यमंत्री कार्यालय को प्रेषित कर दी जाती है।

उक्त क्रम में निर्देशित किया जाता है कि संबंधित प्रशासनिक विभाग द्वारा मंत्रिमण्डलीय समिति/उप समिति के गठन से संबंधित मूल पत्रावली पर केवल वस्तुस्थिति का उल्लेख करते हुए पत्रावली मंत्रिमण्डल सचिवालय को भिजवायी जायेगी। उक्त मंत्रिमण्डलीय समिति/उप समिति में प्रशासनिक विभाग द्वारा अध्यक्ष/संयोजक/सदस्यगण के नाम प्रस्तावित नहीं किये जायेगें।

मंत्रिमण्डलीय समिति/उप समिति के संयोजक/अध्यक्ष/सदस्यगण के मनोनयन के संबंध में मंत्रिमण्डल सचिवालय द्वारा प्रस्तुत पत्रावली पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा ही संयोजक/अध्यक्ष/सदस्यगणों को मनोनीत किया जायेगा। मंत्रिमण्डल सचिवालय द्वारा तद्नुसार संबंधित प्रशासनिक विभाग को अवगत करवाया जायेगा।

अतः समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव उपरोक्त आदेश की आवश्यक रूप से पालना सुनिश्चित करें।

(डी. बी. गुप्ता)
मुख्य सचिव

समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/
प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव
....
अशा0 टीप0 क्रमांक प. 5(1)मं.मं./2019
जयपुर, दिनांक 4/10/19